संख्या–डी–469/38–2–2008–51 एल0सी0/95

प्रेषक,

डा0 जे0एन0 चेम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनु0–2 लखनऊः दिनांकः 31 मई,2008

विषयः– ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यकमों के सफल कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 19–06–1999 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत संचालित कार्यकमों के सफल कियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। शासन द्वारा समय– समय पर विकास योजनाओं एवं कार्यकमों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान मे आया है कि विकास योजनाओं एवं कार्यकमो में अपेक्षित गतिशीलता नहीं आ पा रही है तथा विकास कार्यो का सघन अनुश्रवण भी नहीं हो पा रहा है जिसके कारण विकास कायों का कार्यान्वयन समयान्तर्गत नहीं हो पा रहा है तथा विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2– उक्त संदर्भित शासनादेश से फील्ड स्तर पर यह भ्रांति उत्पन्न हो गयी है कि जिलाधिकारी विकास कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण से सम्बन्धित नहीं होंगे। इस विन्दु पर यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम्य विकास विभाग के विकास कार्यकमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व यथावत है। अतः विभागीय योजनाओं के सफल कियान्वयन के लिए जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित विकास कार्यो की समीक्षा तथ अनुश्रवण किया जाता रहेगा।

3– उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

31/5/08
(डा0 जे0एन0 चेम्बर
प्रमुख सचिव।

––2/–

संख्या–डी–469(1)/38–2–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।